28

सं-1-40014/33/2016/रा.भा. -274

महानिदेशालय भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
गृह मंत्रालय/ भारत सरकार
खण्ड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर
लोदी रोड, नई दिल्ली -03

दिनांक 9/6/17

कार्यालय ज्ञापन

कृपया अपने कार्यालय के दिनांक 02.05.17 के पत्र संख्या- 9871 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि हिंदी कार्यशाला के व्याख्याताओं को दिए जाने वाले मानदेय के बारे में दिशा-निर्देशों के संबंध में है ।

2. इस विषय में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप बल के प्रत्येक कार्यालय में आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशालाओं के व्याख्याताओं को दिया जाने वाला मानदेय लेखा शीर्ष 'वेतन' (Salary) से ही वहन किया जाना अपेक्षित है।

3. इसे आंतरिक वित्त सलाहकार द्वारा समसंख्यक फाइल के नोट शीट -2 के पैरा 17 पर दी गई सहमति से जारी किया जाता है । एतद्द्वारा उप मुख्य लेखा अधिकारी, महानिदेशालय द्वारा जारी बेतार संदेश संख्या 2552 दिनांक 03.11.04 को भी अधिक्रमित समझा जाए।

पटारिया
(आर.के.पटारिया)
का. उप महानिरीक्षक (संगठन)
प्र. किरण 8/6/17

सेवा में,

सेनानी, 39वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल।

प्रतिलिपि:- 1. समस्त फ्रंटियर मुख्यालय/ प्रशिक्षण परिक्षेत्र कृपया इसे अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में परिचालित करना सुनिश्चित करवाएं।

2. क्षे.मु.(ल.व.क.)/ आधार/रैफरल चिकित्सालय एवं कें.अभि.का.,भा.ति.सी.पुलिस कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं।

3. उप सेनानी, आई टी सैल.को इसे बल की वैबसाईट में विद्यमान राजभाषा फोल्डर में प्राथमिकता पर अपलोड करवाने हेतु।

पटारिया
(आर.के.पटारिया)
का. उप महानिरीक्षक (संगठन)
प्र. किरण 8/6/17